UPSI180026782024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद सीतापुर।

प्रकीर्ण दीवानी वाद सं०-66/2024

आर्यन कुमार बनाम अभिषेक कुमार सिंह आदि।

दिनांकः-28.08.2024

पत्रावली लंच बाद वास्ते सुन०/आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 32 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर उसके निस्तारण पर बल दिया गया।

प्रार्थी आर्यन कुमार की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 32 नियम 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता कर कथन किया गया है कि उक्त वाद के प्रतिवादी सं०-1 अभिषेक कुमार सिंह (आयु लगभग-7 वर्ष) पुत्र स्व० दिनेश कुमार नाबालिग है, जो उक्त वाद में प्रतिवाद कर अपने हितों की रक्षा करने में सर्वथा असक्षम है। अवयस्क प्रतिवादी सं०-1 की सगी माता सीता देवी जीवित हैं, जो उसकी प्राकृतिक संरक्षिका है एवं उनके हितों की रक्षा हेतु उपयुक्त है। प्रस्तावित वादर्थ संरक्षिका भी उक्त में पक्षकार मुकदमा बतौर प्रतिवादी सं०-2 है। अवयस्क प्रतिवादी सं०-1 व प्रस्तावित वादार्थ संरक्षिका के हित आपस में समान हैं। अतः उपर्युक्त अवयस्क प्रतिवादी सं०-1 अभिषेक कुमार सिंह की संरक्षिका उसकी सगी माता सीता देवी को नियुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

वाद में प्रतिवादी सं०-1 अभिषेक कुमार सिंह (उम्र-7 वर्ष) अभी अवयस्क है जिसकी सगी माता सीता देवी है तथा उसकी प्राकृतिक संरक्षिका है। अतः अवयस्क वारिस अभिषेक कुमार सिंह की वादार्थ संरक्षिका उसकी माता को नियुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत आदेश 32 नियम 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं०-2 सीता देवी पत्नी स्व० दिनेश कुमार को प्रतिवादी सं०-1 अभिषेक कुमार सिंह (उम्र-7 वर्ष) की वादार्थ संरक्षिका नियुक्त किया जाता है। तद्नुसार प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 32 नियम 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता निस्तारित किया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई वाद-पत्र दिनांक 02.09.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3555

vijay/-

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2024.08.28 17:26:37 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (JD)/J.M. Mahmodabad Sitapur.